



४२९/।।

दूरभाष - 2286709
2286710

नव घेताना केन्द्र, 10 अशोक गार्ड, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : ३०८ / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६
सेवा में,

दिनांक : ०५ नवम्बर २०१५

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद-सिद्धार्थनगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
बैंक आफ बड़ौदा	31780100002085	IFSC Code BARBOTETARI	202.709
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०प० दुमरियागंज	आजाद नगर में तीरथ के घर से बरकत के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	17.291
2	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०प० दुमरियागंज	आजाद नगर में सतानू के घर से साई के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	17.629
3	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०प० दुमरियागंज	आजाद नगर में जमील के घर से लयनू के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	16.798
4	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०प० दुमरियागंज	आजाद नगर में साई के घर से पहुँचा के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	16.971
5	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०प० दुमरियागंज	आजाद नगर में विन्ने के घर से राधेश्याम के घर तक इण्टरलाकिंग, नाली एवं २ मी० रुपान की आर०री०सी० पुलिया निर्माण कार्य।	13.532
6	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०प० दुमरियागंज	इन्दिरानगर में सफा रकूल के आगे बन्धे तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	17.425
7	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०प० दुमरियागंज	इन्दिरानगर में अर्नीस के बाउन्ड्रीवाल से नौखान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	17.505
8	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०प० दुमरियागंज	इन्दिरानगर में अजय मिश्रा के घर के पीछे से जुबेर के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	17.091
9	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०प० दुमरियागंज	इन्दिरानगर में जुबेर के घर से अहमद के बाउन्ड्रीवाल तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	17.669
10	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०प० दुमरियागंज	आजादनगर में मन्दिर रो अभिलाष पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	16.664
11	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०प० दुमरियागंज	आजादनगर में पिंच रोड से ओरे के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	17.331



४३७

दूरभाष- 2286709
2286710

नव घंटाना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्रो सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
12	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० दुमरियागंज	आजादनगर में भल्लू के घर से गोले चौधरी के घर तक ^{इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।}	16.803
	योग				202.709

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये।

- 1— उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों द्वारा लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शारान द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि दुड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्त्यों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्त्यों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उरी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



४२९७

दूरभाष— 2286709
2286710

नय थेना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

12—

शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टरेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतीलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग—सूडा।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक